न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 20/14 तारीख रजू 04/08/17

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. राजकुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द्र जैन (मौके पर विक्रेता) मैसर्स पारसमल अशोक कुमार मैन बाजार ग्रा/पो0 शिवाड़ जिला सवाई माधोपुर (राज0) निवासी– मैन बाजार ग्राम/पो0 शिवाड़ जिला सवाई माधोपुर थाना – चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
2. मनफूली देवी पत्नि गुलाब चन्द्र जैन मैसर्स पारसमल अशोक कुमार मेन बाजार ग्रा0/पो0 शिवाड जिला सवाई माधोपुर निवासी मेन बाजार ग्रा0/पो0 शिवाड जिला सवाई माधोपुर।
3. रामदयाल जैन मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी सी–10 न्यू अनाज मण्डी चांदपोल बाजार जयपुर।
4. ओम प्रकाश शर्मा (भागीदार) मैसर्स श्री ओम मिल्क फूडस (प्रा0) लिमि0 जे–53 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया एग्रो ब्लाक द्वितीय फेज बीकानेर।
5. हनुमान प्रसाद शर्मा (भागीदार) मैसर्स श्री ओम मिल्क फूडस (प्रा0) लिमि0 जे–53 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया एग्रो ब्लाक द्वितीय फेज बीकानेर।
6. मैसर्स श्री ओम मिल्क फूडस (प्रा0) लिमि0 जे–53 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया एग्रो ब्लाक द्वितीय फेज बीकानेर। – अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक:– 2.8.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23/07/2013 को 02:30 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स पारस मल अशोक कुमार मेन बाजार ग्रा/पो0 शिवाड़ जिला सवाई माधोपुर (राज.) पर पहुँचा वहा पर राजकुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द जैन (मौके पर विक्रेता) निवासी– मेन बाजार ग्रा/पो0 शिवाड़ जिला सवाई माधोपुर थाना–चौथ का बरवाड़ा जिला स0मा0 उपस्थित थे को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया परिसर में खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500 मिली. के कार्टन पैक मे 13 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500 मिली. मिसब्राण्ड होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार फर्म मालिक मनफुली देवी पत्नि गुलाब चन्द जैन है। खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500 मिली. का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तथा उक्त के क्रम में मैसर्स – राम दयाल जेन ट्रेडिंग कम्पनी सी–10 न्यु अनाज मण्डी चांदपोल जयपुर के क्रय बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य करोबार कर्त्ता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाघ विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2013/1412 दिनांक 21.08.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2013/201 दिनांक 02/08/13 से विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500 मिली. सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) पाया गया हैं। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500 मिली. का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (11) का उल्लघंन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्न तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1,2 व 4 लगायत 6 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अभियुक्त सं0 3 के फोत हो जाने पर उसका मुत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तत्पश्चात् अभियोजन अधिकारी एव अभियुक्त को सुना गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500 मिली. का विक्रय एवं निर्माण कर दोहरी प्रकृति से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (11) का उल्लघंन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। जो अन्य दुकानदारों से कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पाद) खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) आदि क्रय करता है तथा वह कम्पनी द्वारा निर्मित सिल्ड पैक सामग्री का बेचान करता है। उक्त सामग्री में अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती है। अभियुक्त की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ सिल्ड पैक प्राप्त किया गया है। जिसमें अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उक्त सिल्ड पैक खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कोई पायी जाती है तो वह कम्पनी की जिम्मेदारी होती है ना कि अभियुक्त की ,साथ ही अभियुक्त के अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के अर्न्तगत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं0 4 लगायत 6 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जो निराधार एवं असत्य है, साथ ही अभियुक्त के अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के अर्न्तगत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम पाया गया कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/कोटा/2013/201 दिनांक 02/08/13 के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500मि0ली0 सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) पाया गया तथा अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं थ तो निर्धारित समयावधि में रेफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु आवेदन कर सकता है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धार 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्ग आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं।

अतः अभियुक्तगण द्वारा दोहरी प्रकृति से सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) प्रकृति क खाघ घी (श्री सरस) 500मि0ली0 का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त सं0 1 व 2 को उक्त सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (श्री सरस) 500मि0ली0 का विक्रय करने पर पृथक–पृथक रूप से 25000–25000 (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) एवं अभियुक्त सं0 4 लगायत 6 को सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (घी मानक स्तर का नहीं) प्रकृति के खाद्य घी (श्री सरस) 500मि0ली0 का विक्रय व निर्माण करने पर पृथक–पृथक रूप से 50000–50000 (पचास–पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.8.18 ——————को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर